

# ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

(अधिकार-क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा)

600/1, युनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ-226007

## ई-नीलामी विक्रय सूचना

डीआरसी सं. 445/2017

सिडबी बनाम प्रार्थी / सी.एच. एस. आर. मैक्रो इंफ्रावेल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य प्रतिवादी / जे.डी.

यह सूचना-प्रकाशन 02/01/2018 को की गई विक्रय संबंधी घोषणा के अलावा है। उल्लिखित संपत्ति सिडबी बनाम एस. आर. मैक्रो इंफ्रावेल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के वाद के संबंध में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार देय राशियों की वसूली के लिए वसूली अधिकारी के आदेश के तहत, 12/02/2018 को सार्वजनिक ई-नीलामी के ज़रिए बेची जाएगी।

नीलामी-बिक्री <https://drt.auctiontiger.net> वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के ज़रिए की जाएगी।

नीलामी की तारीख व समय:

12/02/2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के मध्य (आवश्यकता होने पर क्रमशः हर लॉट के लिए 5 मिनट के विस्तार सहित)

## संपत्ति का विवरण

वाद सं. स्वत्व एवं देय राशि	बेची जानेवाली संपत्ति का विवरण, सह-स्वामी प्रतिवादियों तथा अन्य व्यक्तियों के नाम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि
डीआरसी सं. 445/2017 दिनांक 04/12/2017 को बकाया रु. 1,26,59,317.24 (रूपए एक करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार तीन सौ सतरह और चौबीस पैसे मात्र है) + प्रभावी ब्याज व अन्य प्रभार सहित	<b>संपत्ति सं. 1 (लॉट सं. 1)</b> मकान संख्या 268/636/13 प्लॉट संख्या 16, तिलक नगर करबला मालिका जहान स्कीम, ऐशबाग, जिला-लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट है तथा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है- उत्तर : 15 फीट चौड़ी गली दक्षिण : अन्य का मकान पूर्व : 30 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम : 12 फीट चौड़ी गली जो की श्री संजीव माथुर पुत्र श्री आर बी माथुर के स्वामित्व में है (निर्णीत देनदार सं. 2)	₹ 71,22,000/- (रूपये ईखत्तर लाख बाईस हजार मात्र )	₹ 7,12,200/- (रूपये सात लाख बारह हजार दो सौ मात्र )

उक्त संपत्तियों का विक्रय "जैसा है जहाँ है और जो कुछ वहाँ है" आधार पर किया जा रहा है और यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय करजों की वसूली अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) की धारा 25 व 29 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची में विहित शर्तों तथा सरकारी प्रभारों, राजस्व एवं नियमानुसार अन्य ऋण-भारों के अधीन है। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उक्त अचल संपत्ति का भौतिक निरीक्षण कर लें। इच्छुक पार्टियों साइट पर उक्त संपत्ति का निरीक्षण सीएच बैंक की शाखा यानी सिडबी, लखनऊ शाखा कार्यालय, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ के अधिकारी श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक, मोबाइल सं. 9721611888, टेलीफोन नं. 0522-2286202, ई-मेल- [anjani@sidbi.in](mailto:anjani@sidbi.in) के परामर्श से 29/01/2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच कर सकती हैं।

इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वह सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क कर संदर्भाधीन संपत्ति के स्वत्वाधिकार/हक/शुल्क/कर तथा अदायगी योग्य देयताओं के बारे में पूछताछ कर एवं खुद जानकारी लेकर आश्वस्त हो लें। बाद में अधिकरण द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह नीलामी-बिक्री 'ऑनलाइन-ई-नीलामी' के ज़रिए <https://drt.auctiontiger.net> वेबसाइट के माध्यम से होगी। बोली-प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। उक्त डिजिटल हस्ताक्षर हासिल करने तथा बोली प्रक्रिया में सहभागिता हेतु सक्षम होने के लिए इन्टरनेट कनेक्शन युक्त कंप्यूटर टर्मिनल की व्यवस्था करना पूरी तरह से बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र तथा ऑनलाइन बोली की प्रक्रिया के दौरान कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या/मुद्दे की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से बोलीदाता की होगी और इस विषय में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जा जाएगा।

प्रत्येक बोलीदाता आरक्षित मूल्य की 10% राशि (ईएमडी) जमानत के तौर पर जमा कराएगा, जो वसूली अधिकारी, डीआरटी, लखनऊ के पक्ष में लखनऊ पर देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा विधिवत भरा हुआ ई-नीलामी ईएमडी फॉर्म स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से अथवा दस्ती सुपुर्दगी के ज़रिए श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक, सिडबी, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 को हर हाल में 05/02/2018 को 17:00 बजे तक अथवा उससे पहले मिल जानी चाहिए। (नीलामी की तारीख: 12/02/2018)।

ईएमडी प्राप्त होने के बाद भावी बोलीदाता को उनके ईमेल पर उपर्युक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए हमारे सेवा प्रदाता ई प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलोजीस लिमिटेड, ए-201/208 वाल स्ट्रीट, II अपोजिट ओरिएन्ट क्लब, नियर गुजरात कालेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात - 380006 (भारत) से यूजर आईडी/पासवर्ड मिलेगा जो बोली लगाने के लिए अनिवार्य है। हेल्पलाइन नं. 079-40230806, 079-40230807, फ़ैक्स नं. 079-40016876 श्री राम प्रसाद, 079-40230821; ई-मेल: [up@auctiontiger.net](mailto:up@auctiontiger.net)

बोलीदाता अपनी बोली संपत्ति के लिए रु. 20000/- (रुपये बीस हजार मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे। सफल बोलीदाता घोषित किया गया व्यक्ति अपनी क्रय-राशि की पच्चीस प्रतिशत (25%) राशि (ईएमडी घटाकर) वसूली अधिकारी, डीआरटी, लखनऊ के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए उसी दिन श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक, सिडबी, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 के पास अथवा आरक्षित मूल्य की 25% राशि (ईएमडी घटाकर) जमा करने की शर्त पर अगले दिन 17:00 बजे तक की विस्तारित अवधि के भीतर तत्काल अदा/जमा करेगा।

सफल बोलीदाता बिक्री की शेष पछत्तर प्रतिशत (75%) राशि तथा रु. 1000/- तक पर 2% की दर से और रु. 1000/- से अधिक सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क नीलामी की तारीख के 15वें दिन से, पहले जिसमें 15वें दिन को छोड़कर या अगर 15वां दिन रविवार या अवकाश हो तो 15वें दिन के तत्काल बाद वाले कार्य दिवस को श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक, सिडबी, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 के पास जमा करनी होगी। उपरोक्त अवधि में भुगतान नहीं करने पर बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी और संपत्ति को बेचने की नई घोषणा जारी करके संपत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। अगर अधोहस्ताक्षरी को सही लगता है तो बिक्री राशि का खर्च उठाने से संबंधित राशि को ज़ब्त कर सरकार को दे दिया जाएगा तथा चूक कर्ता खरीदार का संपत्ति पर तथा किसी भी पक्ष के प्रति कोई भी दावा नहीं रह जाएगा तथा बाद में संपत्ति को बेच दिया जाएगा।

असफल बोलीदाता को बोली की राशि ई-नीलामी ईएमडी फॉर्म में दिए गए उनके विकल्प के अनुसार, उक्त फॉर्म में उल्लिखित पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से लौटा दी जाएगी, अथवा यदि डिमाण्ड ड्राफ्ट व्यक्तिगत रूप से जमा किया गया हो तो ई नीलामी ईएमडी फॉर्म के साथ भेजी गई पहचान पत्र की छायाप्रति का मूल पहचान पत्र लाना होगा तथा ईएमडी डिमाण्ड ड्राफ्ट श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक, सिडबी-15 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 से प्राप्त करना होगा। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

उच्चतम बोली, वसूली अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी व वसूली अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही माना जाएगा। वसूली अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या स्थगित करने या बिक्री को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक 04/12/2017 को ब्याज, लागत एवं अन्य शुल्कों सहित वर्तमान बकाया राशि 1,26,59,317.24 (रूपए एक करोड़, छब्बीस लाख, उनसठ हजार, तीन सौ सत्रह और चौबिस पैसे मात्र) है। वर्तमान मामले की बिक्री की घोषणा का विवरण, निबंधन एवं ई-नीलामी ईएमडी फॉर्म को <http://tenders.gov.in> वेबसाइट पर केन्द्र सरकार मंत्रालय/विभाग, ऋण वसूली अधिकरण (लखनऊ) के अंतर्गत एवं [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

इस बिक्री-सूचना को इस मामले में दूसरी पार्टियों, जो कि किसी भी रूप में हितबद्ध हैं, के लिए नोटिस माना जाए। जनवरी 2018 की तारीख 05 को मेरे द्वारा एवं सील से जारी किया गया।

(अर्जॉय भट्टाचारजी)  
वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ